संख्या 1911/ III(1)/05-70(अधि0)/05

प्रेषक,

डा0 एस0एस0संधू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 26 दिसम्बर,2005

विषय- **सिंचाई विभाग से 06 खण्डों को लोक निर्माण विभाग में सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1547/103 व्यक-सामान्य/05 दिनांक 08-09-2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार सिंचाई विभाग के निम्नलिखित स्थानों पर कार्यशील 06 खण्डों को लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु तात्कालिक प्रभाव से दो वर्ष के लिये निम्न प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग में सम्बद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	लोक निर्माण विभाग में खण्ड स्थापित किये जाने का स्थान	सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित खण्ड	खण्ड द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य
1	पिथौरागढ़	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड पिथौरागढ़	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सम्बन्धित कार्य (जनपद पिथौरागढ़ से सम्बन्धित कार्य)
2	डाकपत्थर	लखवाड़ सुरंग निर्माण खण्ड डाकपत्थर	राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित कार्य
3	मनेरी (उत्तरकाशी)	मनेरी भाली समन्वेषण खण्ड मनेरी(उत्तरकाशी)	एन0टी0पी0सी0के डिपोजिट कार्य
4	उत्तरकाशी	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड उत्तरकाशी	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सम्बन्धित कार्य
5	विष्णुप्रयाग(जोशीमठ)	विष्णुप्रयाग निर्माण खण्ड जोशीमठ	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सम्बन्धित कार्य (जनपद चमोली एवं रूद्रप्रयाग)
6	श्रीनगर	श्रीनगर निर्माण खण्ड -3,श्रीनगर	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सम्बन्धित कार्य (जनपद पौड़ी)

1. सम्बद्धीकरण अवधि में सम्बन्धित खण्डों के कार्मिक पूर्णतः लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे जिसके अन्तर्गत कार्यभार स्वीकृति,वार्षिक मूल्यांकन तथा अन्य अनुशासनिक/वित्तीय प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रचलित व्यवस्थानुसार लोक निर्माण विभाग के

C-1362

सम्बन्धित अधिकारी सक्षम होंगे,किन्तु वार्षिक मूल्यांकन के अन्तर्गत अपील अथवा वृहद दण्ड जैसे प्रकरण नियोक्ता विभाग अर्थात सिंचाई विभाग में व्यवहृत किये जायेंगे।

2 सम्बद्धीकरण अवधि में सिंचाई विभाग के कार्मिकों की वेतन वृद्धि,प्रोन्नति आदि के बिन्दुओं का निस्तारण सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ही अपने यहां प्रचलित नियमानुसार व्यवहृत किया जायेगा।

3. सम्बद्ध किये जाने वाले खण्डों में तैनात कार्मिकों की वेतन व अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य वित्तीय लाभ सिंचाई विभाग के अधिष्ठान से ही उपलब्ध कराये जायेंगे,तथा लोक निर्माण विभाग से सिंचाई विभाग को कोई सेन्टेज चार्जेज देय नहीं होंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

भवदीय,

(डा०एस०एस०राव)
सचिव।

संख्या: 1711/III(1)/05 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव,मा0 मुख्य मंत्री जी को,मा0 मुख्य मंत्री जी के सूचनार्थ ।
2. निजी सचिव,मा0 मंत्री जी,लोक निर्माण विभाग को,मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
3. निजी सचिव,मा0 सिंचाई राज्य मंत्री जी को,मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4. सचिव,सिंचाई विभाग,उत्तरांचल शासन ।
5. अपर सचिव,कार्मिक,उत्तरांचल शासन ।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल,पौड़ी/नैनीताल ।
7. समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
8. मुख्य अभियन्ता स्तर-2,लोक निर्माण विभाग,पौड़ी/अल्मोड़ा।
9. मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग,उत्तरांचल,देहरादून।
10. निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,सचिवालय परिसर,उत्तरांचल।
11. लोक निर्माण अनुभाग-2/3 उत्तरांचल शासन ।
12. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(वी०के०पन्त)
संयुक्त सचिव।

Letter 288